

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवीं मंजिल, विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल

दूरभाष क्रमांक-0755-2578491 फैक्स-3768159

E-dirhort@mp.nic.in/midhort@gov.in

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3155

भोपाल, दिनांक 26/3/18

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला -समस्त।

विषय :- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक राईपेनिंग चेम्बर के प्रस्ताव के आवेदन में लगने वाले दस्तावेजों में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :- कार्या. पत्र क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./नश्वर/2017-18/8267 दिनांक 15/11/17

---:0:---

विषयांतर्गत लेख है कि योजना में पूर्व में जारी सभी पत्रों को निरस्त करते हुये एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक राईपेनिंग चेम्बर के प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है :-

1. ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।
2. प्रोजेक्ट DPR
3. बैंक एप्राइजल रिपोर्ट ।
4. बैंक ऋण की स्वीकृति पत्र ।
5. भूमि के दस्तावेज।
6. जिला उद्यानिकी मिशन समिति से अनुमोदन।
7. राईपेनिंग चेम्बर स्थापना में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करने का घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टॉप पर)।
8. बेसिक डाटाशीट(nhb.gov.in/documentnew/Basic%20Data%20Sheet.doc) के अनुसार ।

2 आयुक्त सह-संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3156

भोपाल, दिनांक 26/3/18

प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 आयुक्त सह-संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवीं मंजिल, विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल

दूरभाष क्रमांक-0755-2578491 फैक्स-3768159

E-dirhort@mp.nic.in./midhort@gov.in

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3157

भोपाल, दिनांक 26/3/18

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

जिला -समस्त।

विषय :- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक शीतगृह एवं नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना अंतर्गत शीतगृह के प्रस्ताव के आवेदन में लगने वाले दस्तावेजों में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :- कार्या. पत्र क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./नश्वर/2017-18/8267 दिनांक 15/11/17

---:0:---

विषयांतर्गत लेख है कि योजना में पूर्व में जारी सभी पत्रों को निरस्त करते हुये एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक शीतगृह के प्रस्ताव जिला उद्यानिकी मिशन समिति के माध्यम से स्वीकार्य होंगे। नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना एवं मिशन योजना अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज के प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है :-

1. ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।
2. प्रोजेक्ट DPR
3. भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण-पत्र ।
4. बैंक एप्राइजल रिपोर्ट ।
5. बैंक ऋण की स्वीकृति पत्र ।
6. एन.सी.सी.डी. की डिजाईन एवं मापदण्ड अनुसार निर्माण कराने का घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टांप पर)।(बीज अधोसंरचना एवं टिश्यूकल्चर लैब पर लागू नहीं)
7. कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और प्रोटोकॉल के अनुसार निर्माण करने का घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टांप पर)।
8. इस शीतगृह स्थापना में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करने का घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टांप पर)।
9. बेसिक डाटाशीट(nhb.gov.in/documentnew/Basic%20Data%20Sheet.doc) के अनुसार।


आयुक्त सह-संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/3/18

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3158

प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।


आयुक्त सह-संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

मध्यप्रदेश भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवीं मंजिल, विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल

दूरभाष क्रमांक-0755-2578491 फैक्स-3768159

E-dirhort@mp.nic.in./midhhort@gov.in

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3159

भोपाल, दिनांक 26/3/18

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

जिला -समस्त।


विषय :- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक रीफर वेन के प्रस्ताव के आवेदन में लगने वाले दस्तावेजों में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :- कार्या. पत्र क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./नश्वर/2017-18/8267 दिनांक 15/11/17

---:0:---

विषयांतर्गत लेख है कि योजना में पूर्व में जारी सभी पत्रों को निरस्त करते हुये एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन के घटक रीफर वेन के प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है :-

1. ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।
2. प्रोजेक्ट DPR.
3. बैंक ऋण की स्वीकृति पत्र ।
4. बैंक एप्राइजल रिपोर्ट।
5. जिला उद्यानिकी मिशन समिति से अनुमोदन।
6. रीफर वेन हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करने का घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टॉप पर)।
7. बेसिक डाटाशीट।
8. बैंक द्वारा वाहनों के चेसिस, बॉडी एवं रेफ्रिजरेशन यूनिट के प्रोफार्मा इनवॉइस की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. बैंक द्वारा वाहनों के चेसिस, बॉडी एवं रेफ्रिजरेशन यूनिट आदि के भुगतान प्राप्ति की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
10. वाहनों के चेसिस एवं बॉडी के डेलीवरी चालान की स्वप्रमाणित छायाप्रति।


आयुक्त सह-संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/3/18

क्रमांक/रा.उ.मि./पी.एच.एम./2017-18/ 3160

प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त सह-संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

मध्यप्रदेश भोपाल